



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 462]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 20, 2016/अग्रहायण 29, 1938

No. 462]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 20, 2016/AGRAHAYANA 29, 1938

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 14 दिसम्बर, 2016

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) विनियम, 2016

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/25/137/2016 .—बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए की उपधारा 2 के खंड (आईसी) और (जेडी) के साथ पठित धारा 31बी तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 14 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और विनियमों का प्रारंभ:

(क) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) विनियम, 2016 के नाम से जाने जाएँगे।

(ख) ये विनियम 1 अप्रैल 2017 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ:

(क) "अधिनियम" से समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है।

(ख) "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 के उपबंधों के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है।

(ग) "कमीशन" से बीमा पॉलिसी की अपेक्षा करने और उसे प्राप्त करने के लिए बीमाकर्ता से बीमा एजेंट को अदा किया जानेवाला और बीमा एजेंट द्वारा प्राप्त किया जानेवाला प्रतिकर (कॉम्पेन्सेशन) अभिप्रेत है।

(घ) "बीमा मध्यवर्ती" आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 2(1) (एफ) में परिभाषित रूप में है तथा इस विनियम के प्रयोजन के लिए इसमें निम्नलिखित शामिल है-

1. कॉरपोरेट एजेंट
2. बीमा दलाल

3. वेब संग्राहक
4. बीमा विपणन फर्म
5. समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित की जानेवाली कोई अन्य संस्था।

(ड) "पारिश्रमिक" से बीमा पॉलिसी की अपेक्षा करने और उसे प्राप्त करने के लिए बीमाकर्ता द्वारा अदा किया जानेवाला और बीमा मध्यवर्ती द्वारा प्राप्त किया जानेवाला प्रतिकर (कॉम्पेन्सेशन) अभिप्रेत है।

(च) "प्रतिफल" (रिवॉर्ड) से बीमाकर्ता द्वारा निम्नलिखित को प्रोत्साहन के रूप में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अदा की जानेवाली राशि अभिप्रेत है चाहे वह किसी भी नाम से कहलाए।

- i. बीमा एजेंट को उपदान (ग्रेच्युइटी), मीयादी बीमा रक्षा, विभिन्न सामूहिक बीमा रक्षाओं, टेलीफोन प्रभारों, कार्यालय भत्ता, विक्रय संवर्धन उपहार मदों, प्रतियोगिता पुरस्कारों और ऐसी अन्य मदों जैसे लाभों के लिए।
- ii. बीमा मध्यवर्ती को जोखिम विश्लेषण, अंतराल विश्लेषण, योजना अभिकल्पन, भविष्यसूचक प्रतिरूपण, डेटा प्रबंध, बुनियादी संरचना, विज्ञापन तथा किसी भी नाम से कहलानेवाले किसी अन्य प्रोत्साहन सहित ऐसी अन्य मदों जैसी सेवाओं के लिए।

(छ) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 अथवा उनके अधीन बनाये गये किन्हीं भी विनियमों/ दिशानिर्देशों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो क्रमशः उन अधिनियमों/ विनियमों/ दिशानिर्देशों में उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

3. विस्तार

(क) इन विनियमों में बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए अधिनियम, 1999 तथा उनके अधीन जारी किये गये विनियमों में परिभाषित रूप में बीमा एजेंटों और मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान सम्मिलित होगा।

(ख) प्रत्येक बीमाकर्ता के पास बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल के भुगतान के लिए एक लिखित नीति होगी जो कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

(ग) कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल के भुगतान के लिए नीति के उद्देश्यों में ऐसे तरीके से बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों का उपयोग सम्मिलित होगा जो:

- (i) देश में बीमा व्यापन और सघनता को बढ़ाए;
- (ii) पॉलिसीधारकों के हित में हो;
- (iii) अपनी व्यावसायिक कार्यनीति के अनुरूप हो;
- (iv) व्यवसाय के संचालन में तथा बीमा व्यवसाय के प्रबंधन के सरलीकरण में किफायत लाये; तथा
- (v) इनमें से प्रत्येक के लिए दिये गये महत्व के सापेक्ष परिमाण को निर्दिष्ट करे।

(घ) बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल के भुगतान के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति में न्यूनतम स्तर पर निम्नलिखित मर्दे निहित होंगी:

- (i) निम्नलिखित के भुगतान के संबंध में विधि और शर्तें :
 - (1) बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक;
 - (2) एजेंसी के समापन के बाद बीमा एजेंटों को नवीकरण कमीशन (ईआरसी स्थिति), यदि कोई हो;
 - (3) बीमा एजेंट की मृत्यु होने की स्थिति में बीमा एजेंट के उत्तराधिकारियों को आनुवंशिक कमीशन।
- (ii) सेवारहित (ऑफ़र) पॉलिसियों के अंतरण के संबंध में विधि और शर्तें।
- (iii) बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों की नियुक्ति के समापन, निलंबन और निरसन के आधार और विधि।
- (iv) किसी भी बीमा एजेंट और बीमा मध्यवर्ती द्वारा विक्रय किये जानेवाले उत्पादों पर कोई प्रतिबंध।

(ड) कंपनी बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल के भुगतान के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में दाखिल करेगी तथा उसके बाद प्रत्येक वर्ष उक्त नीति की समीक्षा करेगी और यदि कोई परिवर्तन हों तो उन्हें ऐसे परिवर्तन करने से 30 दिन के अंदर दाखिल करेगी।

4. प्रयोज्यता

- i. ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015 तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सामान्य सेवा केन्द्र द्वारा बीमा सेवाएँ) विनियम, 2015 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट बीमा उत्पादों और समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले ऐसे अन्य बीमा उत्पादों पर लागू नहीं होंगे।
- ii. ये विनियम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (संबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013 के विनियम (9) और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (असंबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013 के विनियम (21) का अधिक्रमण करते हैं।
- iii. जहाँ पॉलिसियाँ बीमाकर्ता द्वारा सीधे प्राप्त की जाती हैं, वहाँ बीमा एजेंटों को अथवा बीमा मध्यवर्तियों को कोई कमीशन अथवा पारिश्रमिक देय नहीं होगा।
- iv. कोई भी बीमाकर्ता एक ही बीमा पॉलिसी पर बीमा एजेंट को कमीशन और बीमा मध्यवर्ती को पारिश्रमिक दोनों का भुगतान नहीं करेगा।

5. वैयक्तिक बीमा एजेंटों को कमीशन, बीमा मध्यवर्ती को पारिश्रमिक

- (क) बीमा एजेंट अथवा बीमा मध्यवर्ती को अदा किये जानेवाले कमीशन अथवा पारिश्रमिक का निर्धारण बीमाकर्ता द्वारा अपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के आधार पर किया जाएगा।
- (ख) जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य बीमा उत्पादों सहित जीवन बीमा उत्पादों के अंतर्गत देय अधिकतम कमीशन अथवा पारिश्रमिक अनुसूची I में दिया गया है।
- (ग) साधारण बीमाकर्ताओं अथवा स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के अंतर्गत देय अधिकतम कमीशन अथवा पारिश्रमिक अनुसूची II में दिया गया है।
- (घ) साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित साधारण बीमा (मोटर को छोड़कर अन्य) उत्पादों के अंतर्गत देय अधिकतम कमीशन अथवा पारिश्रमिक अनुसूची III में दिया गया है।
- (ङ) साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित साधारण बीमा (मोटर) उत्पादों के अंतर्गत देय अधिकतम कमीशन अथवा पारिश्रमिक अनुसूची IV में दिया गया है।
- (च) कोई बीमाकर्ता किसी भी स्थिति में इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा के निचले अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (संबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013 अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (असंबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013 अथवा समय-समय पर साधारण बीमाकर्ताओं पर लागू साधारण बीमा उत्पादों के लिए उत्पाद फाइलिंग प्रक्रियाओं संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमोदित सीमा से अधिक कमीशन अथवा पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करेगा।

6. बीमाकर्ताओं द्वारा वैयक्तिक बीमा एजेंट अथवा बीमा मध्यवर्ती को प्रतिफल

- (क) बीमा एजेंट अथवा बीमा मध्यवर्ती को कमीशन अथवा पारिश्रमिक से अधिक अदा किये जानेवाले प्रतिफल का निर्धारण बीमाकर्ता द्वारा बोर्ड से अनुमोदित एक उद्देश्य और पारदर्शी मानदंड के आधार पर किया जाएगा।
- (ख) इन विनियमों के अंतर्गत प्रतिफलों के प्रयोजनों के लिए मोटे तौर पर वितरण के तीन माध्यम होंगे अर्थात् बीमा एजेंट, बीमा मध्यवर्ती जिनका राजस्व बीमा मध्यस्थता को छोड़कर अन्य सभी कार्यकलापों से उनके कुल राजस्व के पचास प्रतिशत या कम हो, और बीमा मध्यवर्ती जिनका राजस्व बीमा मध्यस्थता को छोड़कर अन्य सभी कार्यकलापों से उनके कुल राजस्व के पचास प्रतिशत से अधिक हो।
- (ग) ऐसे किसी बीमा मध्यवर्ती को कोई प्रतिफल अदा नहीं किया जाएगा जिनका राजस्व बीमा मध्यस्थता कार्यकलापों को छोड़कर अन्य प्रकार से, सभी कार्यकलापों से उनके कुल राजस्व के पचास प्रतिशत से अधिक हो।
- (घ) प्रतिफल – जीवन बीमा
 - (i) जीवन बीमा में प्रतिफल का परिकलन क्रमशः बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों के लिए एक समग्र आधार पर किया जाना चाहिए और इसे बीमा एजेंट अथवा बीमा मध्यवर्ती द्वारा अपेक्षित प्रत्येक पॉलिसी के साथ संबद्ध नहीं किया जाना चाहिए।
 - (ii) प्रतिफल बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को अदा किये गये प्रथम वर्ष कमीशन अथवा पारिश्रमिक के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (ङ) प्रतिफल – स्वास्थ्य बीमा सहित साधारण बीमा
 - (i) साधारण बीमा में प्रतिफल का परिकलन क्रमशः बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों के लिए स्वास्थ्य बीमा और स्वास्थ्य बीमा को छोड़कर अन्य प्रकार के लिए अलग-अलग किया जाना चाहिए तथा इसे बीमा एजेंट और बीमा मध्यवर्ती द्वारा अपेक्षित प्रत्येक पॉलिसी के साथ संबद्ध नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) प्रतिफल बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को अदा किये गये कमीशन अथवा पारिश्रमिक के 30% से अधिक नहीं होना चाहिए।

7. बीमाकर्ता द्वारा कमीशन, पारिश्रमिक और प्रतिफल के भुगतान के संबंध में विवरणी

- (क) सभी बीमाकर्ता प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 45 दिन के अंदर अनुसूची-V में दिये गये फार्मेट में बीमाकर्ता द्वारा कमीशन, पारिश्रमिक और प्रतिफल के भुगतान के संबंध में विवरणियाँ प्रस्तुत करेंगे।
- (ख) उक्त विवरणी पर बीमाकर्ता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अनुपालन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाएँगे।
- (ग) बीमाकर्ता के बोर्ड द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जाने से पहले लेखा-परीक्षा समिति द्वारा उक्त विवरणी की समीक्षा की जाएगी।

8. दंड -- अधिनियम अथवा विनियमों के किसी उपबंध के किसी भी अतिक्रमण अथवा उल्लंघन से बीमाकर्ता अथवा बीमा एजेंट अथवा बीमा मध्यवर्ती अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दंड के लिए भागी बनेगा।

9. स्पष्टीकरण आदि जारी करने के लिए प्राधिकरण की शक्ति: इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसका अर्थनिर्णय करने में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण का अध्यक्ष परिपत्रों के रूप में स्पष्टीकरण, निदेश और दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

अनुसूची-I

जीवन बीमा – विनियम 5(ख)

प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में अधिकतम कमीशन अथवा पारिश्रमिक जिसकी अनुमति जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित जीवन बीमा उत्पादों के लिए दी गई है, निम्नानुसार है:

सारणी I – एकल प्रीमियम

क्रम सं.	जीवन बीमा उत्पाद अथवा पॉलिसी की श्रेणी	बीमा एजेंट/ बीमा मध्यवर्ती को देय एकल प्रीमियम पर अधिकतम कमीशन/ पारिश्रमिक
1	एकल प्रीमियम	
क	विशुद्ध जोखिम उत्पादों को छोड़कर सभी वैयक्तिक जीवन उत्पाद	2%
ख	वैयक्तिक विशुद्ध जोखिम उत्पाद	7.5%
ग	वैयक्तिक तत्काल/ आस्थगित वार्षिकी	2%
घ	एक वर्षीय नवीकरणीय सामूहिक विशुद्ध जोखिम बीमा	वर्ष के दौरान प्रदत्त प्रीमियम का 5% अथवा 10 लाख रुपये, जो भी कम हो
ङ	सामूहिक विशुद्ध जोखिम (सामूहिक ऋण सहित)	5%
च	सामूहिक बचत परिवर्ती जीवन बीमा	2%
छ	सामूहिक निधि आधारित	वर्ष के दौरान अदा किये गये प्रीमियम का 0.5% अथवा 10 लाख रुपये, जो भी कम हो

सारणी II – नियमित प्रीमियम

क्रम सं.	जीवन बीमा उत्पाद अथवा पॉलिसी की श्रेणी	बीमा एजेंट/ बीमा मध्यवर्ती को देय नियमित प्रीमियम उत्पादों अथवा पॉलिसियों पर अधिकतम कमीशन/ पारिश्रमिक	
		प्रथम वर्ष प्रीमियम	नवीकरण प्रीमियम
1	नियमित प्रीमियम		
क	वैयक्तिक विशुद्ध जोखिम	40%	10%
ख	वैयक्तिक विशुद्ध जोखिम को छोड़कर अन्य		
i)	निम्नलिखित प्रीमियम भुगतान अवधियों से संबंधित पॉलिसियों के संबंध में		
	5 वर्ष	15%	7.5%
	6 वर्ष	18%	7.5%

	7 वर्ष	21%	7.5%
	8 वर्ष	24%	7.5%
	9 वर्ष	27%	7.5%
	10 वर्ष	30%	7.5%
	11 वर्ष	33%	7.5%
	12 वर्ष या अधिक	35%	7.5%
ग	वैयक्तिक आस्थगित वार्षिकी / पेंशन	7.5%	2%
घ	सामूहिक विशुद्ध जोखिम (सामूहिक ऋण सहित) और सामूहिक बचत परिवर्ती जीवन	7.5% (केवल विशुद्ध जोखिम प्रीमियम पर)	7.5%
ङ	सरकारी योजना – जीवन - स्वास्थ्य	सरकारी अधिसूचना के अनुसार	सरकारी अधिसूचना के अनुसार

अनुसूची-II

स्वास्थ्य बीमा(साधारण एवं स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता)-विनियम 5(ग)

प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में अधिकतम कमीशन अथवा पारिश्रमिक जिसकी अनुमति साधारण बीमाकर्ताओं अथवा स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिए दी गई है, निम्नानुसार है:

क्रम सं.	व्यवसाय की व्यवस्था	कमीशन / पारिश्रमिक
1	स्वास्थ्य – वैयक्तिक	15%
2	स्वास्थ्य - सामूहिक(केवल नियोक्ता-कर्मचारी)- वार्षिक	7.5%
3	स्वास्थ्य – सामूहिक(गैर-नियोक्ता-कर्मचारी समूह – जो केवल 14 जुलाई 2005 के आईआरडीए सामूहिक दिशानिर्देशों में यथापरिभाषित रूप में बीमा का लाभ उठाने के लिए नहीं बने हैं)- वार्षिक	15%
4	स्वास्थ्य – सामूहिक (ऋण सहबद्ध 5 वर्ष तक)	15%
5	स्वास्थ्य – सरकारी योजना	सरकारी योजना/ अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट रूप में अन्यथा स्वास्थ्य – सामूहिक (केवल नियोक्ता-कर्मचारी) – वार्षिक खंड

*- वैयक्तिक में वार्षिक प्रीमियम, 3 वर्ष का एकल प्रीमियम, 3 वर्ष का नियमित प्रीमियम शामिल है।

अनुसूची-III

साधारण बीमा (मोटर को छोड़कर अन्य) – विनियम 5(घ)

प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में अधिकतम कमीशन अथवा पारिश्रमिक जिसकी अनुमति साधारण बीमा (मोटर को छोड़कर अन्य) के लिए दी गई है, निम्नानुसार है:

क्रम सं.	व्यवसाय की व्यवस्था (मोटर को छोड़कर अन्य)	बीमा एजेंट को देय अधिकतम कमीशन	बीमा मध्यवर्ती को देय अधिकतम पारिश्रमिक
1	फायर -- खुदरा	15%	16.5%
2	फायर – कॉरपोरेट (बीमित राशि के साथ जोखिम ≤ 2,500 करोड़ रुपये)	10%	11.5%
3	फायर – कॉरपोरेट (बीमित राशि के साथ जोखिम > 2,500 करोड़ रुपये)	5%	6.25%
4	मरीन -- कार्गो	15%	16.5%

	तत्काल/आस्थगित वार्षिकी							
घ	एक वर्षीय नवीकरणीय सामूहिक विशुद्ध जोखिम बीमा							
ङ	सामूहिक विशुद्ध जोखिम (सामूहिक ऋण सहित)							
च	सामूहिक बचत परिवर्ती जीवन बीमा							
छ	सामूहिक निधि आधारित							
	कुल							कुछ नहीं
2	नियमित प्रीमियम							
क	वैयक्तिक विशुद्ध जोखिम							कुछ नहीं
ख	वैयक्तिक विशुद्ध जोखिम को छोड़कर अन्य							
ग	वैयक्तिक आस्थगित वार्षिकी/ पेंशन							
घ	सामूहिक विशुद्ध जोखिम (सामूहिक ऋण सहित)							
ङ	सामूहिक बचत परिवर्ती जीवन							
च	सरकारी योजना - जीवन - स्वास्थ्य							
	कुल							कुछ नहीं

सारणी-II - प्रतिफल - (जीवन) - जैसा लागू हो

वित्तीय वर्ष के लिए

क्रम सं.	विवरण	राशि (रुपये)
क	बीमा एजेंट	
1	उपदान (ग्रेच्युइटी)	
2	मीयादी बीमा रक्षा	
3	पीए रक्षा	

4	चिकित्सा बीमा	
5	टेलीफोन प्रभार	
6	कार्यालय भत्ता	
7	विक्रय संवर्धन	
8	उपहार की मर्दे	
9	प्रतियोगिता पुरस्कार	
10	ऐसी अन्य मद (विनिर्दिष्ट करें)	
11	कुल	
ख	बीमा मध्यवर्ती	
1	जोखिम विश्लेषण	
2	अंतराल विश्लेषण	
3	योजना अभिकल्पन	
4	भविष्यसूचक प्रतिरूपण	
5	डेटा प्रबंध	
6	जोखिम सर्वेक्षण	
7	बुनियादी संरचना प्रभार	
8	विज्ञापन प्रभार	
9	ऐसी अन्य मद (विनिर्दिष्ट करें)	
10	कुल	
	कुल जोड़ (क + ख)	

सारणी-III साधारण और स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमा (जैसा लागू हो)

वित्तीय वर्ष के लिए

क्रम सं.	व्यवसाय की व्यवस्था / श्रेणी	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	बीमा एजेंट		बीमा मध्यवर्ती		बीमा मध्यवर्ती जिनका बीमा मध्यस्थता को छोड़कर अन्य प्रकार से राजस्व उनके कुल राजस्व के 50% से > है		
			कमीशन	प्रतिफल	पारिश्रमिक	प्रतिफल	पारिश्रमिक	प्रतिफल	
1	साधारण बीमा								
क	फायर -- खुदरा								कुछ नहीं
ख	फायर - कॉरपोरेट (बीमित राशि के साथ जोखिम < रु. 2,500 करोड़)								

ग	फायर - कॉरपोरेट (बीमित राशि के साथ जोखिम > रु. 2,500 करोड़)							
घ	मरीन - कार्गो							
ङ	मरीन - हल							
च	विविध - खुदरा							
छ	विविध - कॉरपोरेट/ समूह							
ज	विविध - कॉरपोरेट (बीमित राशि के साथ इंजीनियरिंग जोखिम > रु. 2,500 करोड़)							
झ	मोटर (व्यापक)							
ञ	मोटर (स्टैंड- अलोन टीपी)							
	कुल							कुछ नहीं
2	स्वास्थ्य बीमा							
क	स्वास्थ्य - वैयक्तिक - वार्षिक							कुछ नहीं
ख	स्वास्थ्य - वैयक्तिक - 3 वर्ष - एकल प्रीमियम							
ग	स्वास्थ्य - वैयक्तिक - 3 वर्ष - नियमित प्रीमियम							
घ	स्वास्थ्य - (नियोक्ता- कर्मचारी समूह) - वार्षिक							
ङ	स्वास्थ्य - (गैर-नियोक्ता-							

	कर्मचारी समूह) - वार्षिक							
च	स्वास्थ्य - सामूहिक (ऋण सहबद्ध 5 वर्ष तक)							
छ	स्वास्थ्य - सरकारी							
	कुल							कुछ नहीं

सारणी-IV - प्रतिफल - (साधारण और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य) - जैसा लागू हो
वित्तीय वर्ष के लिए

क्रम सं.	विवरण	राशि (रुपये)
क	बीमा एजेंट	
1	ग्रैच्युइटी	
2	मीयादी बीमा रक्षा	
3	पीए रक्षा	
4	चिकित्सा बीमा	
5	टेलीफोन प्रभार	
6	कार्यालय भत्ता	
7	विक्रय संवर्धन	
8	उपहार की मदें	
9	प्रतियोगिता पुरस्कार	
10	ऐसी अन्य मद (विनिर्दिष्ट करें)	
11	कुल	
ख	बीमा मध्यवर्ती	
1	जोखिम विश्लेषण	
2	अंतराल विश्लेषण	
3	योजना अभिकल्पन	
4	भविष्यसूचक प्रतिरूपण	
5	डेटा प्रबंध	
6	जोखिम सर्वेक्षण	
7	बुनियादी संरचना प्रभार	
8	विज्ञापन प्रभार	
9	ऐसी अन्य मद (विनिर्दिष्ट करें)	
10	कुल	
	कुल जोड़ (क + ख)	

उक्त राशि में कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अदा किये गये सभी भुगतान शामिल हैं तथा यह आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार है।

हस्ताक्षरित

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(सीईओ)

स्थान:

दिनांक:

अनुपालन अधिकारी

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन. III/4/असा./348/16/(161)]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 14th December, 2016

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (PAYMENT OF COMMISSION OR REMUNERATION OR REWARD TO INSURANCE AGENTS AND INSURANCE INTERMEDIARIES)

REGULATIONS, 2016

F. No. IRDAI/Reg/25/137/2016.—In exercise of the powers conferred by clause (ic) and (jd) of sub-section 2 of section 114A read with section 31B of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), and read with sub-section (1) of sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short Title and Commencement of the Regulations:

- (a) These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Payment of commission or remuneration or reward to insurance agents and insurance intermediaries) Regulations, 2016.
- (b) They shall come into force on 1st April, 2017.

2. Definitions:

- (a) "Act" means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), as amended from time to time.
- (b) "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under the provisions of Section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999).
- (c) "Commission" means the compensation paid to and received by an insurance agent from an insurer for soliciting and procuring an insurance policy.
- (d) "Insurance Intermediary" is as defined in Section 2(1)(f) of the IRDA Act, 1999 and for the purpose of this regulation includes
 1. Corporate Agents
 2. Insurance Brokers
 3. Web Aggregators
 4. Insurance Marketing Firm
 5. Any other entity as may be notified by the Authority from time to time.

- (e) “Remuneration” means the compensation paid by an insurer and received by an insurance intermediary for soliciting and procuring an insurance policy.
- (f) “Reward” means the amounts paid, whether directly or indirectly, as an incentive by whatever name called by an insurer to:
 - i. an insurance agent towards benefits such as gratuity, term insurance cover, various group insurance covers, telephone charges, office allowance, sales promotion gift items, competition prizes and such other items.
 - ii. an insurance intermediary towards services such as risk analysis, gap analysis, plan design, predictive modeling, data management, infrastructure, advertisement and such other items including any additional incentives by whatever name called.
- (g) Words and expressions used and not defined in these Regulations but defined in the Act, as amended from time to time, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 or in any of the Regulations / Guidelines made there under shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts/ Regulations / Guidelines.

3. Scope

- (a) These regulations shall include payment of commission or remuneration or reward, to insurance agents and insurance intermediaries as defined in the Insurance Act, 1938, IRDA Act, 1999 and Regulations issued thereunder.
- (b) Every insurer shall have a written policy for payment of commission or remuneration or reward to insurance agents and insurance intermediary which shall be approved by the Board of the company.
- (c) The objectives of the Policy for payment of commission or remuneration or reward shall include the utilization of insurance agents and insurance intermediaries in the manner that:
 - (i) increases insurance penetration and density in the country;
 - (ii) it is in the interests of the policyholders;
 - (iii) it is commensurate with its business strategy;
 - (iv) brings cost efficiencies in the conduct of business and simplification of the administration of insurance business; and
 - (v) gives an indication on the relative degree of importance placed on each of them.
- (d) The Board approved policy for payment of commission or remuneration or reward to insurance agents and insurance intermediaries shall contain the following items at the minimum:
 - (i) Manner and conditions regarding payment of:
 - (1) commission or remuneration to the insurance agents and insurance intermediaries;
 - (2) renewal commission (ERC status), if any, to insurance agents after termination of agency;
 - (3) hereditary commission to the heirs of an insurance agent in the event of the death of the insurance agent;
 - (ii) Manner and conditions regarding transfer of orphan policies
 - (iii) Grounds and manner of termination, suspension and cancellation of appointment of insurance agents and insurance intermediaries.
 - (iv) Any restrictions on the products to be sold by any of insurance agents and insurance intermediaries.

- (e) The company shall file the Board approved policy for payment of commission or remuneration or reward to insurance agents and insurance intermediaries to the Authority at the start of the financial year and thereafter shall review the policy every year, and file changes, if any, within 30 days of such changes.

4. Applicability

- i. These regulations shall not be applicable to insurance products specified under Insurance Regulatory and Development Authority of India (Micro Insurance) Regulations, 2015 and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Services by Common Service Centre) Regulations 2015 and such other insurance products as may be specified by the Authority from time to time.
- ii. These Regulations supersede Regulation (9) of Insurance Regulatory and Development Authority (Linked Insurance Products) Regulations, 2013 and Regulation (21) of Insurance Regulatory and Development Authority (Non Linked Insurance Products) Regulations, 2013.
- iii. Where policies are procured directly by an insurer, no commission or remuneration shall be payable either to insurance agents or to the insurance intermediaries.
- iv. No Insurer shall pay both commissions to an insurance agent and remuneration to an insurance intermediary on the same insurance policy.

5. Commission to Individual Insurance agents, remuneration to insurance intermediary

- (a) The commission or remuneration to be paid to an insurance agent or an insurance intermediary shall be decided by the insurer based on its Board approved policy.
- (b) The maximum commission or remuneration payable under life insurance products including health insurance products offered by life insurers is given in Schedule I.
- (c) The maximum commission or remuneration payable under health insurance products offered by general insurers or stand-alone health insurers is given in Schedule II.
- (d) The maximum commission or remuneration payable under general insurance (other than motor) products offered by general insurers is given in Schedule III.
- (e) The maximum commission or remuneration payable under general insurance (motor) products offered by general insurers is given in Schedule IV.
- (f) No insurer shall in any case pay commission or remuneration which is lower of the maximum specified in these regulations or that approved under the Insurance Regulatory and Development Authority (Linked Insurance Products) Regulations, 2013 or Insurance Regulatory and Development Authority (Non Linked Insurance Products) Regulations, 2013 or the Guidelines on Product Filing Procedures for General Insurance Products applicable to General Insurers from time to time.

6. Reward to individual insurance agent or insurance intermediary by insurers

- (a) The reward to be paid to an insurance agent or an insurance intermediary over and above the commission or remuneration shall be decided by the insurer based on an objective and transparent criteria approved by the Board.
- (b) For the purposes of rewards under these regulations, there shall be broadly three channels of distribution namely insurance agents, insurance intermediaries whose revenues from other than insurance intermediation is fifty percent or less of their total revenue from all the activities and insurance intermediaries whose revenues from other than insurance intermediation is more than fifty percent of their total revenue from all the activities.

- (c) No reward shall be paid to an insurance intermediary whose revenues from other than insurance intermediation activities is more than fifty per cent of their total revenue from all the activities.
- (d) Reward – Life Insurance
- (i) Reward in life insurance to be calculated on an overall basis for insurance agents and insurance intermediaries respectively and not linked to each and every policy solicited by an insurance agent or an insurance intermediary.
- (ii) Reward being not more than 20% of first year commission or remuneration paid to insurance agents and insurance intermediaries
- (e) Reward – General Insurance including health insurance
- (i) Reward in the general insurance to be calculated separately for health insurance and other than health insurance for insurance agents and insurance intermediaries respectively and not linked to each and every policy solicited by an insurance agent or an insurance intermediary.
- (ii) Reward being not more than 30% of commission or remuneration paid to insurance agents and insurance intermediaries

7. Return on payment of Commission, remuneration and reward by the insurer

- (a) All insurers, within 45 days of the expiration of each financial year, shall submit returns on payment of commission, remuneration and reward by the insurer in format given Schedule - V.
- (b) The return shall be signed by the Chief Executive Officer and Compliance Officer of the insurer.
- (c) The Return shall be reviewed by the Audit Committee prior to being placed for approval of the Board of the Insurer.

8. Penalties - Any breach or violation of the provision of the Act or the Regulations shall make the insurer or an insurance agent or insurance intermediary liable to a penalty as per provisions of the Act.

9. Power of the Authority to issue clarifications etc: In order to remove any difficulties in application or interpretation of any of the provisions of these Regulations, the Chairperson of the Authority may issue clarifications, directions and guidelines in the form of circulars.

Schedule – I

Life Insurance - Reg 5(b)

The maximum commission or remuneration as a percentage of premium that is allowed for life insurance products offered by life insurers is as under:

Table I – Single Premium

Sl No	Category of Life Insurance Product or Policy	Maximum Commission/ Remuneration on Single Premium payable to insurance agent/ insurance intermediary
1	Single Premium	
A	All individual life products except pure risk products	2%
B	Individual Pure Risk products	7.5%
C	Individual Immediate/ Deferred Annuity	2%
D	One year renewable group pure risk insurance	5% of premium paid during the year or Rs 10 lakhs whichever is less
E	Group Pure Risk (incl Group credit)	5%

F	Group Savings Variable Life Insurance	2%
G	Group Fund based	0.5% of premium paid during the year or Rs10 lakhs whichever is less

Table II – Regular Premium

Sl No	Category of Life Insurance Product or Policy	Maximum Commission/ Remuneration on Regular Premium Products or Policies payable to insurance agent/ insurance intermediary	
		First year premium	Renewal Premiums
1	Regular Premium		
A	Individual Pure Risk	40%	10%
B	Individual Other than Pure Risk		
i)	In respect of policies with premium payment terms of		
	5 years	15%	7.5%
	6 years	18%	7.5%
	7 years	21%	7.5%
	8 years	24%	7.5%
	9 years	27%	7.5%
	10 years	30%	7.5%
	11 years	33%	7.5%
	12 years or more	35%	7.5%
C	Individual Deferred Annuity / Pension	7.5%	2%
D	Group Pure Risk (incl Group credit) and Group Savings Variable Life	7.5% (only on pure risk premium)	7.5%
E	Government Scheme-Life-Health	As per Government Notification	As per Government Notification

Schedule – II**Health Insurance (General & Stand-alone Health Insurers) – Reg 5(c)**

The maximum commission or remuneration as a percentage of premium that is allowed for health insurance products offered by general insurers or stand-alone health insurers is as under:

S. No	Line of business	Commissions/ Remuneration
1	Health-Individual*	15%
2	Health-Group (Employer-Employee only) - Annual	7.5%
3	Health-Group (Non Employer-Employee groups – not formed solely for availing insurance as defined in IRDA Group Guidelines of 14 th July, 2005) – Annual	15%

4	Health – Group (credit linked upto 5 years)	15%
5	Health-Govt Scheme	As specified in the Government Scheme/ Notification else as per Health - Group (Employer-Employee only) - Annual segment

*- Individual includes annual premium, 3 years single premium, 3 years regular premium

Schedule – III

General Insurance (other than motor) – Reg 5(d)

The maximum commission or remuneration as a percentage of premium that is allowed for general insurance (other than motor) is as under:

S. No	Line of business (Other than Motor)	Maximum Commission payable to insurance agent	Maximum remuneration payable to insurance intermediary
1	Fire-Retail	15%	16.5%
2	Fire-Corporate (Risks with S.I. ≤ Rs 2,500 crs)	10%	11.5%
3	Fire-Corporate (Risks with S.I. > Rs 2,500 crs)	5%	6.25%
4	Marine-Cargo	15%	16.5%
5	Marine-Hull	10%	11.5%
6	Miscellaneous – Retail	15%	16.5%
7	Miscellaneous – Corporate/ Group*	10%	12.5%
8	Miscellaneous – Corporate (Engineering Risks with S.I. > Rs 2,500 crs)	5%	6.25%

* - Commission/ remuneration shall be payable as per Government Notification.

Schedule – IV

Motor Insurance – Reg 5(e)

The maximum commission or remuneration as a percentage of premium that is allowed for general insurance (motor) is as under:

S. No.	Line of business	Maximum Commission/ remuneration payable to insurance agents/ insurance intermediaries
1	Motor (Comprehensive)*	15%
2	Motor (Stand-alone TP)	2.5%

* - Commission/ remuneration shall be payable only to the OD portion of the Motor (Comprehensive) policy.

SCHEDULE V

[See regulation 7(a)]

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Payment of Commission or Remuneration or Reward to Insurance Agent and Insurance Intermediaries) Regulations, 2016**Certificate to be submitted by the insurer duly signed by CEO and Compliance Officer of the insurer**

We hereby confirm that the amounts paid as commission, remuneration and reward to insurance agent and insurance intermediaries are as under:

Table – I Life Insurance (as applicable)

For the Financial Year:.....

S. No	Category / Lines of Business	1 st Year Premium	Insurance Agent		Insurance Intermediary whose revenues from other than insurance intermediation is 50% of their total revenue or less		Insurance Intermediary whose revenues from other than insurance intermediation is > 50% of their total revenue	
			Commission	Reward	Remuneration	Reward	Remuneration	Reward
1	Single Premium							
A	All individual life products except pure risk products							NIL
B	Individual Pure Risk products							
C	Individual Immediate/ Deferred Annuity							
D	One year renewable group pure risk insurance							
E	Group Pure Risk (incl Group credit)							
F	Group Savings Variable Life Insurance							
G	Group Fund based							
	TOTAL							NIL
2	Regular Premium							
A	Individual Pure Risk							NIL
B	Individual Other than Pure Risk							
C	Individual Deferred Annuity / Pension							
D	Group Pure Risk (incl Group credit)							

E	Group Savings Variable Life							
F	Government Scheme-Life-Health							
	TOTAL							NIL

Table – II - Rewards - (Life) – as applicable

For the Financial Year:.....

S.No.	Description	Amount (Rs)
A	Insurance Agents	
1	Gratuity	
2	Term Insurance Cover	
3	PA Cover	
4	Medical Insurance	
5	Telephone Charges	
6	Office Allowance	
7	Sales Promotion	
8	Gift Items	
9	Competition Prizes	
10	Such other item (Please specify)	
11	Total	
B	Insurance Intermediaries	
1	Risk Analysis	
2	Gap Analysis	
3	Plan Design	
4	Predictive Modeling	
5	Data Management	
6	Risk Survey	
7	Infrastructure charges	
8	Advertisement charges	
9	Such other item (Please specify)	
10	Total	
	GRAND TOTAL (A+B)	

Table – III General and Stand Alone Health Insurance (as applicable)

For the Financial Year:.....

S. No	Category Lines of Business	Gross Direct Premium	Insurance Agent		Insurance Intermediary whose revenues from other than insurance intermediation is 50% of their total revenue or less		Insurance Intermediary whose revenues from other than insurance intermediation is > 50% of their total revenue	
			Commission	Reward	Remuneration	Reward	Remuneration	Reward
1	GENERAL INSURANCE							
A	Fire-Retail							NIL
B	Fire – Corporate (Risks with SI ≤ Rs 2,500 crs)							
C	Fire – Corporate (Risks with SI > Rs 2,500 crs)							
D	Marine-Cargo							
E	Marine-Hull							
F	Miscellaneous-Retail							
G	Miscellaneous-Corporate/ Group							
H	Miscellaneous-Corporate (Engg Risks with SI > Rs 2,500 crs)							
I	Motor (Comprehensive)							
J	Motor (Stand-Alone TP)							
	TOTAL							NIL
2	HEALTH INSURANCE							
A	Health – Individual - Annual							NIL
B	Health – Individual - 3 yrs - Single Premium							
C	Health – Individual - 3 yrs- Regular Premium							
D	Health - (Employer-Employee Group)- Annual							
E	Health- (Non-Employer- Employee							

	Group)-Annual						
F	Health- Group - (credit linked upto 5 yrs)						
G	Health – Govt						
	TOTAL						NIL

Table – IV - Rewards - (General & Stand-Alone Health) – as applicable

For the Financial Year:.....

S.No.	Description	Amount (Rs)
A	Insurance Agents	
1	Gratuity	
2	Term Insurance Cover	
3	PA Cover	
4	Medical Insurance	
5	Telephone Charges	
6	Office Allowance	
7	Sales Promotion	
8	Gift Items	
9	Competition Prizes	
10	Such other item (Please specify)	
11	Total	
B	Insurance Intermediaries	
1	Risk Analysis	
2	Gap Analysis	
3	Plan Design	
4	Predictive Modeling	
5	Data Management	
6	Risk Survey	
7	Infrastructure charges	
8	Advertisement charges	
9	Such other item (Please specify)	
10	Total	
	GRAND TOTAL (A+B)	

The amount includes all payments paid directly or indirectly by the company and is in compliance with the regulations prescribed by IRDAI.

Signed by

CEO

Compliance Officer

Place:

Date:

T. S. VIJAYAN, Chairman
[ADVT.-III /4/Exty/348/16(161)]